Published in E-Rajpatra on 16.09.2019

हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह (सतर्कता) विभाग

संख्याःगृह(सतर्कता)ए(3)–8/2016–लोकायुक्त नियम, तारीख शिमला–2, 11.09.2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 7 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 2019 है।

   (2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं.–(1) इन नियमों में, "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) अभिप्रेत है।

   (2) इन नियमों के प्रयोजनार्थ "कुटुम्ब" शब्द का वही अर्थ होगा जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 में उसका है।

3. छुटटी.– लोकायुक्त, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यथा लागू, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार छुट्टी के लिए इस उपान्तरण के अध्यधीन हकदार होगा कि लोकायुक्त सेवाकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक मास की दर से पूर्ण भत्तों पर और सेवाकाल की शेष अवधि के लिए अनुपातत: छुट्टी का हकदार होगा।

4. छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी.– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, लोकायुक्त का अवकाश, स्वीकृत या अस्वीकृत करने या स्वीकृत किए गए अवकाश को प्रतिसंहृत और कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

5. भविष्य निधि.– लोकायुक्त समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सिविल सेवा) नियम, 1960 और तद्धीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि में अभिदान करने का हकदार होगा।

6. यात्रा भत्ता.– लोकायुक्त, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कर्तव्यरूढ की गई यात्रा में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसा यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा और उसे यात्रा से सम्बन्धित ऐसी समुचित प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी जैसी समय–समय पर उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 में विहित की जाएं:

परन्तु लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति पर प्रथमतः पदग्रहण पर अपने सामान्य निवास स्थान से शिमला तक और अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर स्वनगर तक की वापसी यात्रा वायुमार्ग, रेलमार्ग या मोटरयान द्वारा स्वयं और अपने कुटुम्ब की यात्रा पर उपगत वास्तविक व्यय को यात्रा भत्ते के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त वह, सामान पर एक पूरी वैगन तक के परिवहन तक उपगत वास्तविक खर्चे का भी हकदार होगा:

परन्तु यह और कि लोकायुक्त की पद पर नियुक्ति के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उसके कुटुम्ब के सदस्य, मुख्यालय से उसके स्वनगर तक, यदि यात्रा लोकायुक्त की मृत्यु से छः मास के भीतर की जाती है, कुटुम्ब की यात्रा और पूरी वैगन तक के उनके सामान के परिवहन पर उपगत वास्तविक खर्चे के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण :– इन नियमों के प्रयोजन के लिए "पूरी वैगन" शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 के नियम 1 ए में उनके हैं।

7. चिकित्सा उपचार के लिए प्रसुविधाएं.– लोकायुक्त और उसके कुटुम्ब के सदस्य सरकारी अस्पतालों में ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं और वास सुविधा के लिए हकदार होंगे जैसी हिमाचल प्रदेश उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को अनुज्ञेय हैं।

8. निवास स्थान के लिए प्रसुविधा.– लोकायुक्त उन्ही निबन्धनों और शर्तों पर निवास स्थान के लिए हकदार होगा जैसी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लागू हैं।

9. सेवा की अन्य शर्तें.– लोकायुक्त की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नही हैं, वैसी ही होंगी जैसी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लागू हैं।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सतर्कता)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनॉक 11.09.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आगामी कार्रवाई हेतू प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. अतिरिक्त विधि परामर्शदाता एवं अतिरिक्त सचिव विधि (विधायन) हि0 प्र0 सरकार, शिमला–171002
3. सचिव, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला–171004
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हि0 प्र0 शिमला–171003
8. नियन्त्रक, हि0 प्र0 मूद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला–171005 को इस आशय के साथ की इस अधिसूचना को ई–राजपत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें।

विशेष सचिव (सतर्कता)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Authoritative English text of this Department notification No. Home (Vig.) A (3)-8/2016-Lokayukta Rules dated 11.09.2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Home (Vigilance) Department

....

No. Home(Vig.)A(3)-8/2016-Loka. Rules, Dated: Shimla-2, the, 11.09.2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 7 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Conditions of Service) Rules, 2019.

   (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P. (e-Gazette).

2. **Definitions.-** (1) In these Rules, 'Act' means the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No.23 of 2015).

   (2) For the purpose of these Rules, the word "family" shall have the same meaning as assigned to it in the 'High Court Judges' Travelling Allowance Rules, 1956.

3. **Leave.-** The Lokayukta shall be entitled to leave in accordance with the provisions of the 'High Court Judges' (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder and as applicable to the Chief Justice of High Court subject to the modification that the Lokayukta shall be entitled to leave on full allowances at the rate of one month for each completed year of service and proportionately for the remaining period of service.

4. **Authority competent to grant leave.-** The Governor of Himachal Pradesh shall be the authority competent to grant or refuse leave to the Lokayukta or to revoke or curtail leave granted.

5. **Provident Fund.-** The Lokayukta shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund in accordance with the **General Provident Fund (Central Civil Services) Rules 1960**, as amended from time to time and orders issued there under.

6. **Travelling allowance.-** The Lokayukta shall receive such travelling allowance to reimburse him for expenses incurred in travelling on duty within the territory of India and shall be afforded such reasonable facilities in connection with travelling as may, from time to time, be prescribed in the **'High Court Judges' Travelling Allowance Rules, 1956**:

Provided that a person appointed as Lokayukta shall be entitled to receive as travelling allowance, the actual expenditure incurred on the journey for self and his family from the place of his ordinary residence to Shimla on first joining his appointment and for the journey back to his home town on completion of his tenure, by air, rail or motor vehicle. Further, he shall be entitled to actual expenditure incurred for the transportation of luggage upto a full wagon:

Provided further that in the event of the death of Lokayukta while in office, the members of his family shall be entitled to the actual expenditure incurred on the journey of the family and for the transportation of their luggage upto a full wagon from the headquarters to the

home town of the Lokayukta, in case, the journey is performed within six months of the death of the Lokayukta.

Explanation:- For the purpose of these rules, the words "full wagon" shall have the same meaning as assigned to it in rule 1 A of the **'High Court Judges' Travelling Allowance Rules,1956.**

7. **Facilities for medical treatment.**- The Lokayukta and his family members shall be entitled to such facilities for medical treatment and accommodation in the Government hospitals as are admissible to the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh and his family members.

8. **Facility for residential accommodation.**- The Lokayukta shall be entitled for residential accommodation on the same terms and conditions as are applicable to the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh.

9. **Other conditions of service.**- The other conditions of service of the Lokayukta for which no express provisions have been made in these rules, shall be the same as are applicable to the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh.

By order,

Principal Secretary (Vigilance) to the
Government of Himachal Pradesh

No. Home(Vig.)A(3)-8/2016 Lokayukta Rules Dated: 11.09.2019
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1) All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

2) The Addl.-LR-cum-Addl. Secretary, Law (Legn.) to the govt. of H.P. Shimla-171002.
3) The Secretary, (Lokayukta) Himachal Pradesh-171002.
4) The Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla.
5) All Heads of the Departments in Himachal Pradesh.
6) All Divisional Commissioners/ Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
7) The Principal Accountant General (Audit) Himachal Pradesh Shimla-171003.
8) The Controller, H.P. Printing and Stationery Department, Shimla-5 for publication in E-Gazette.

Special Secretary (Vigilance) to the
Government of Himachal Pradesh